

(आ० 20 नियम 6 / जा०दी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान
वईजलास श्री श्री. एल. शर्मा (आ००५०५०)


अनवान प्रकरण

1. श्री मती लक्ष्मी ०१०११ घासी ५१०११ मीठू ओड निवासी - सुरास हाल निवासी हमना तहसील-वल्लभनगर जिला-उदयपुर
 2. श्रीमती चन्दा ०१०११ घासी ५१०११ रामेश्वर ओड निवासी - सुरास हाल निवासी - गुमोरा " "
 3. श्रीमती रेखा ०१०११ घासी ५१०११ अन्नालाल ओड निवासी - सुरास हाल निवासी - ओडी कारवेडा भीलवाड़ा [वादीगण]
- V/S
1. श्री शंभू ३०११ घासी ओड निवासी - सुरास हाल निवासी कच्यी बस्ती कांबा बवेडा भीलवाड़ा
 2. श्री शंकर १०११ घासी ओड निवासी - सुरास हाल निवासी कच्यी बस्ती कांबा कारवेडा भीलवाड़ा
 3. श्री सत्यनारायण ३०११ घासी ओड निवासी - सुरास हाल निवासी कच्यी बस्ती कांबा कारवेडा भीलवाड़ा
 4. श्रीमती कौरी ५०११ घासी ओड निवासी - सुरास हाल निवासी कच्यी बस्ती कांबा कारवेडा भीलवाड़ा
 5. श्री लालुराम ३०११ पन्ना पार निवासी - चित्तपुरा तहसील - जिला - भीलवाड़ा
 6. श्री राम ३०११ देवीलाल दरोगा निवासी - सुरास तहसील - माण्डल
 7. श्री विजयशंकर ३०११ हरिशंकर शर्मा निवासी - सुरास तहसील - माण्डल
 8. श्री लाडू ३०११ बंशी सुवालका निवासी - सुरास तहसील - माण्डल
 9. श्री कालू ३०११ गोपी दरोगा निवासी - पांसल तहसील - जिला - भीलवाड़ा
 10. राजस्थान राज्य परिषद तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल
 11. राजस्थान राज्य परिषद उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय - माण्डल तहसील - माण्डल

वाद अन्तर्गत धारा ११३, ११५, ११८ मुकदमा नं० / वर्ष ११३ / १५ निर्णय दिनांक १. 6. 18
 यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कर्ताई स्वरूप अदालत व हिजरी दकील वादी
 मिनजानिव मुददर्ई व सत्यनारायण सोमानी Adv. के ललाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म
 दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अतः आडेरा दिया जाता है कि वादीगण
 का वादपत्र आडेरा 7 नियम 11 के तहत विधि द्वारा वर्जित होने
 के कारण खारिज किया जाता है ।

शर्चा फरिक्तेन अपना - अपना पहन करे ।

आज तारीख 1. 6. 18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।


 उपखण्ड अधिकारी
 माण्डल तहसील - भीलवाड़ा